LOK SABHA

Tuesday, December 20, 1977/Agrahayana 29, 1899 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पोरबन्दर रेलवे स्टेशन यार्ड से कोयले की चोरी के बारे में ज्ञापन

*489. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोरबन्दर कोल एण्ड कोक एसोसिएशन ने गुजरात में पोरबन्दर रेलवे स्टेशन के यार्ड से कोयले की बहुत सी चोरियों के बारे में जुलाई, 1977 में सरकार को कोई ज्ञापन भेजा था, यदि हां, तो उस ज्ञापन में क्या शिकायतें की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में अब तक कोई जांच की है और यदि हां, तो कब और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है; और

(ग) कोयले की चोरियां पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा अब तक कितने चोरों को पकड़ा गया है और कब ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(क) जी हां । पोरबन्दर रेलवे स्टेशन के यार्ड में कोयले की चोरी के सम्बन्ध में रेल मंत्री के नाम प्रेषित 7-6-1977 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसे जांच के लिए पश्चिम रेल प्रशासन को भेज दिया गया था ।

(ख) जांच की गई थी और पोरबन्दर यार्ड में पश्चिम रेलवे के रेलवे सुरक्षा दल अधिकारियों द्वारा अचानक छापे भी मारे गये थे ।

(ग) इस वर्ष के दौरान कोयले की चोरी के 213 मामले पकड़े गये, जिन में 3,831 रुपये के मूल्य के कोयले की चोरी हुई थी और 246 बाहरी व्यक्तियों तथा 18 रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था । सुरक्षा के उपायों में कड़ाई लाने के फलस्वरूप पोरबन्दर यार्ड में कोयले की चोरी पर काबू पा लिया गया है । कोल एण्ड कोक मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, पोरबन्दर के अध्यक्ष ने भी पश्चिम रेल प्रशासन द्वारा की गयी सामयिक कार्यवाही की प्रशंसा की है ।

श्री धर्म सिंह भाई पटेल : आप ने मेरे प्रश्न के खण्ड (क) के जवाब में यह बताया है कि पोरबन्दर रेलवे स्टेशन के यार्ड में कोयले की चोरी के सम्बन्ध में रेल मंत्री के नाम प्रेषित 7-6-1977 की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसे जांच के लिए पश्चिम रेल प्रशासन को भेज दिया गया था, लेकिन उस के बाद 21-7-77 और 31-10-77 को फिर कोयले की चोरी के बारे में आप को दो शिकायतें भेजी हैं, उन के बारे में सरकार ने क्या किया है ?

प्रो० मधु दण्डवते : 7-6-77 को जो शिकायत हम लोगों के पास आई थी उस के अनुसार पश्चिम रेलवे के अधिकारियों को इत्तिला देने के बाद 213 चोरी के केसेज पकड़े गए जिन में 3831 रुपये के मूल्य के कोयले की चोरी हुई थी और 246 बाहर के व्यक्तियों तथा 18 रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। सुरक्षा के उपायों में कड़ाई लाने और ये सब काम करने के बाद पोरबन्दर यार्ड में कोयले की चोरी पर काफी काबू पा लिया गया है और कोल एण्ड कोक मर्चेन्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से हम लोगों के पास एक बयान भी आया है जिस में उन्होंने स्वागत किया है कि आर पी एफ अफसरों की तरफ से जो छापे मारे गए उस की वजह से काफी माल उन्हें मिला है। माननीय सदस्य ने कहा है कि और दो शिकायतें बाद में भेजी हैं, मैं जरूर उन की तलाश करूंगा और उन की जांच कराऊंगा और जैसे इस मामले में हम ने दखल दे कर कुछ काम किया है इसी तरह से दूसरी जो शिकायतें है उन के बारे में भी ध्यान देंगे।

श्री धर्म सिंह भाई पटेल : कोयले की चोरियां सम्पूर्ण रूप से नष्ट करने के बारे में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है और कब उठाएगी ?

प्रो० मधु दण्डवते : कोयले की चोरी रोकने के लिए रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स की तरफ से जिन के बारे में सन्देह है वहां रैड डालना और प्रिवेंटिव ऐक्शन लेना, जिन लोगों पर कोई निश्चित चार्ज लगा सकते हैं उन्हें कोर्ट के सामने रख कर प्रासीक्यूसन करना, इस प्रकार की कार्यवाही चाहे वे रेल के कर्मचारी हों या बाहर के व्यक्ति हों, उन के बारे में की जायगी और हमें जरूर इस के बारे में कोई सन्देह नहीं है कि इस प्रकार की कार्यवाही करने के बाद कोयले की चोरी अवश्य कम हो सकती है।

श्री भानु कुमार शास्त्री : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि मुझे शिकायत 7-6-1977 को प्राप्त हुई। मुझे आश्चर्य है क्योंकि माननीय सदस्य ने 28-9-77 को, ऐसोसिएशन ने 21-7-77 को और 31-7-77 को अपनी कम्पलेंट्स मंत्रालय को भेजी हैं। साथ ही यह भी आप ने बताया है कि 213 मामले पकड़े गए लेकिन चोर कितने पकड़े गए और उस में रेलवे कर्मचारी कितने थे वह स्पेसिफाइड नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि रेलवे मंत्रालय में यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे मंत्री महोदय बड़े एफीशिएन्ट हैं और कोई कम्पलेन्ट जाने पर जल्दी ही शिकायत दूर कर लेते हैं लेकिन आज स्थिति यह है कि स्टेशन पर माल चोरी हो जाता है, और चोर पकड़ा जाता है, पकड़े जाने के बाद साबित होने पर भी केवल उस का स्थानांतर होता है और बाद में मैनिपुलेशन कर के वह फिर उसी जगह पर आ जाता है। इन चोरियों के कारण लाखों रुपए के क्लेम्स रेल मंत्रालय को देने पड़ते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो चोर पकड़े गए उसमें कितने रेलवे कर्मचारी थे और कितने दूसरे थे—यह मंत्री जी स्पेसिफाइ करें।

प्रो० मधु दण्डवते : जो सवाल पूछा गया है उस के दो हिस्से हैं। मैं पहले यह बता देना चाहता हूं कि जो जानकारी माननीय सदस्य ने मांगी है वह उस विवरण में जो कि सभा पटल पर रखा गया है, दी गई है। मैं पढ़कर पुनः बता देता हूं : "इस वर्ष के दौरान कोयले की चोरी के 213 मामले पकड़े गए, जिन में 3,831 रुपए के मूल्य के कोयले की चोरी हुई थी और 246 बाहरी व्यक्तियों तथा 18 रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। सुरक्षा के उपायों में कड़ाई लाने के फलस्वरूप, पोरबन्दर यार्ड में कोयले की चोरी पर काबू पा लिया गया है। कोल एण्ड कोक मर्चेन्ट्स एसोसिएशन,

पोरबन्दर के अध्यक्ष ने भी पश्चिम रेल प्रशासन द्वारा की गयी सामयिक कार्यवाही की प्रशंसा की है ।"

उनका जो दूसरा सवाल है कि एक शिकायत आने के बाद भी दूसरी शिकायत उन्होंने भेजी है तो मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि उनकी दूसरी शिकायत पर पूरा ध्यान देंगे और उस की जांच कर के उचित कार्यवाही करेंगे ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, रेलवे के अन्दर यह चोरी की परम्परा वर्षों से है और चोरी कराने में रेलवे पुलिस का प्रमुख हाथ होता है जोकि अनेकों बार सिद्ध हो चुका है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या यह बात सही नहीं है कि जो चोरियां पकड़ी जाती हैं, उनके केसेज जो न्यायालयों में जाते हैं वहां पर आपके रेलवे के वकील चोरों से मिले होते हैं वे उन से पैसा ले लेते हैं और केस को ढीले से लड़ते हैं जिसके कारण अधिकांश केसेज रेलवे हार जाती है ? मंत्री जी ने जो बताया है कि इतने लोग पकड़े गए हैं तो उनमें से अब तक कितने लोगों को सजा दिलाई गई है और कितने छूट गए हैं ? यह जो मंत्री जी ने जानकारी दी है कि 213 मामले पकड़े गए और अब सुरक्षा के मामलों में कड़ाई लाने से चोरी पर काबू पा लिया गया है तो उस का मतलब है भविष्य में चोरी नहीं होगी लेकिन आज भी चोरियां हो रही हैं । यह जो गलतबयानी की है, क्या इस की सफाई मंत्री जी करेंगे ।

प्रो० मधु दंडवते : दो प्रकार के सवाल पूछे गए हैं । एक तो जनरल सवाल है । उन्होंने कहा कि क्या आपको जानकारी है कि जो रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के अधिकारी चोरी की जांच करने के लिए छापे डालते हैं उनकी तरफ से और हमारे जो वकील कोर्ट में जाते हैं उनकी तरफ से काफी भ्रष्टाचार होता है—मैं आम तौर से कोई इल्जाम नहीं देना चाहता लेकिन माननीय सदस्य को इतना आश्वासन जरूर देना चाहता हूं कि कोई निश्चित केसेज यदि मेरे पास भेज दें तो उन की मैं जरूर जांच करुंगा और जो लोग जिम्मेदार होंगे—चाहे आर पी एफ के या दूसरे लोग उन पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी । अगर माननीय सदस्य निश्चित केसेज मेरे पास भेज देंगे तो मैं जरूर उन की जांच करूंगा । सिर्फ जांच ही करूंगा, इतना ही नहीं बल्कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

दूसरा सवाल उन्हों ने पूछा कि जिन लोगों को पकड़ा गया, जो रेल कर्मचारी है या बाहर के व्यक्ति उन के बारे में क्या कर रहे हैं । 246 बाहर के व्यक्तियों के बारे में कोर्ट में केसेज चल रहे हैं, उनके बारे में कोर्ट निर्णय करेंगे । जहां तक हमारे कर्मचारियों का सम्बन्ध है—उन के बारे में हम ने तय किया है कि इस प्रकार की चोरी के मामले में या दूसरे किसी इन-डिसिप्लन के बारे में यदि वे पकड़े जाते हैं तो हम उन को सस्पेण्ड कर देते हैं और कोर्ट का फैसला आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाती है । वही इसमें भी किया जायगा ।

श्री रामानन्द तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें कितने लोगों को चार्ज-शीट किया गया और कितने लोगों को चार्जशीट नहीं किया गया तथा उन में कितनों का कन्विक्शन हुआ है और कितनों का एक्विटल हुआ है ?

प्रो० मधु दंडवते : मैं ने अभी कछवाय जी को जवाब देते हुए बतलाया है कि ये केसेज कोर्ट में पैंडिंग हैं .....

श्री रामानन्द तिवारी : इन को चार्ज शीट दिया या नहीं ?

प्रो० मधु दंडवते : चार्जशीट देकर ही ये केसेज चल रहे हैं—इन कर्मचारियों की तादाद 18 है और इन को सस्पेंड किया गया है ।